

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर(राज0)  
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरडक, आर०ए०एस०

अपील संख्या 51/2018

1- ईश्वर लाल पुत्र भंवरलाल जाति हरिजन निवासी सारडी तहसील लाडनूं जिला  
नागौर राज0।

.....अपीलान्त

बनाम

1-तहसीलदार, लाडनूं तहसील लाडनूं, जिला नागौर राज0।

.....रेस्पोजेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता-

1-श्री मोहम्मद अली शेरानी अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार लाडनूं बअनुवान राज0 सरकार  
जरिये पटवारी हल्का, सारडी बनाम ईश्वरलाल मु0 नं0 54/17 अन्तर्गत  
धारा 91 एल.आर.एक्ट दिनांक 20.07.2018

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांक:09.03.21

{1} -यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार लाडनूं के प्रकरण सं0 54/2017 बअनुवान पटवारी हल्का सारडी बनाम ईश्वर लाल में पारित निर्णय दिनांक 20.07.2018 के विरुद्ध पेश की है।

{2} मामलें के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सारडी ने अपीलान्त/अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार लाडनूं को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्त/अप्रार्थी ने मौजा ग्राम सारडी के खसरा नम्बर 131 रकबा 0.12 बीघा किस्म गै0मु0 गौचर भूमि पर कब्जा कर पक्का निर्माण व दुकान बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है, तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर



  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
डीडवाना

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थी को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा सारड़ी के खसरा नम्बर 131 रकबा 0.12 बीघा किस्म गैर मु0 गौचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा सारड़ी के खसरा नम्बर 131 रकबा 0.12 बीघा गैर मुमकिन गौचर से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, एवं वार्षिक लगान दर से जुर्माना रूपये 17/- अक्षरे सतरह रूपये कायम किया गया। अतः प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/अप्रार्थी को खसरा नं0131 किस्म गै0मु0गौचर भूमि रकबा 0.12 बीघा भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये।


उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 31.08.18 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 05.09.18 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक राजस्व/2021/479 दिनांक 22.02.2021 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त हुई।

{3} -वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:-

{3}(1)-यह है अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवम वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(2) -यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत न्याय के विपरीत निर्णय अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवम वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।



  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
डीडवाना

{3}(3) – यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए निर्णय अधीन अपील पारित करने में घोर त्रुटि की है, अतः निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य हैं।

{3}(4) – यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत का अवसर भी नहीं दिया है, इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य हैं।


{3}(5) – यह है कि अपीलार्थी/अप्रार्थी को पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया, ना ही पटवारी हल्का द्वारा पटवारी रिपोर्ट अपीलार्थी के समक्ष बनाई तथा ना ही अपीलार्थी के हस्ताक्षर करावाये गये है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(6)– यह है कि उक्त भूमि पर अपीलार्थी पिछले 50 वर्षों से काबिज चला आ रहा है एवम पक्का मकान व दुकान बनाया है तथा पक्का मकान व दुकान में बिजली का कनेक्शन भी ले रखा है। उक्त समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वह निरस्तनीय है।

{3}(7) – यह है कि मौके पर अपीलार्थी द्वारा उपर्युक्त वर्णित खसरा में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। बहस के अन्तिम में यह कथन किया है कि अपीलान्ट/अप्रार्थी की अपील स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.07.2018 अपास्त किये जाने का निवेदन है।

{4} – बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का सारड़ी की रिपोर्ट, जिसकी जाँच भू0अ0निरीक्षक द्वारा की गयी, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम सारड़ी, के खसरा नम्बर 131 रकबा 0.12 बीघा किस्म गै0 मु0 गौचर पर पक्का निर्माण व दुकान बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अप्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट/अप्रार्थी का नोटिस तामील सुदा प्राप्त तथा अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मुमताज खॉ ने अपना वकालतनामा पेश किया, तथा जवाब हेतु समय चाहा गया, यह अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 30.11.2017




  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
डीहवाना


से स्पष्ट है। अतः अप्रार्थी/अपीलान्त को बार बार समय देने के उपरान्त भी अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्त द्वारा 10मु0 गौचर की भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया है। उक्त भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1956 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि में आती है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलान्त को बेदखली का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्त/अप्रार्थी ने यह कथन किया है कि उसका मकान पिछले 50 वर्षों काफी सालों से बना है, तथा उसमें विद्युत कनेक्शन आदि किये हुवे है, तो यह भी गलत है कि जिस भूमि पर अप्रार्थी ने मकान बनाया हुआ है वह भूमि 10मु0 गौचर राजकीय भूमि है तथा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का नियमन या आवंटन नहीं किया जा सकता है। 10मु0गोचर भूमि प्रतिबन्धित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

:::: आदेश :::


अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त की अपील खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.07.2018 यथावत रखा जाता है।



  
(~~अतिरिक्त जिला कलक्टर~~  
अतिरिक्त ~~डीडवाना~~ कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(~~रामपाल सिंह बरडक~~  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
~~डीडवाना~~  
डीडवाना (नागौर)